Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहायक अभियंता (हाल प्रतिनियुक्ति नगर विकास न्यास, कोटा) के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कोटा स्थित 3 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *29 नवम्बर, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई. डब्ल्यू.) एवं विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये **कमल मीणा** सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हाल प्रतिनियुक्ति नगर विकास न्यास, कोटा के कोटा में स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा **कमल मीणा** सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हाल प्रतिनियुक्ति नगर विकास न्यास, कोटा के विरूद्ध शिकायत का सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री ललित शर्मा विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर** के नेतृत्व में ब्यूरो की एस.आई.डब्ल्यू जयपुर इकाई तथा इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** एसीबी कोटा ग्रामीण, **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** ए.सी.बी. टोंक, **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज भारद्वाज** एसीबी जयपुर ग्रामीण, **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एसीबी एस.आई.यू. जयपुर एवं उनकी टीमों द्वारा आज अलसुबह उनके कोटा स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार **कमल मीणा** सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हाल प्रतिनियुक्ति नगर विकास न्यास, कोटा एवं उनकी पत्नी द्वारा **अनेक** परिसम्पत्तियां अर्जित करने की सूचना है, जो उनकी **वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक** है। आरोपी सहायक अभियंता द्वारा अपनी अवैध आय को कोटा, जयपुर, केशोरायपाटन बूंदी में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। आरोपी एवं उसके परिजनों के नाम से विभिन्न स्थानों पर स्थित करीब **29 आवासीय एवं कृषि भूखण्डों के दस्तावेज** बरामद हुये हैं। जिनकी बाजार कीमत करोड़ों रुपयों की मानी जा रही है। आरोपी के घर एवं बैंक लॉकरों से भी **करीब 37 तोला स्वर्ण आभूषण, 1 किलो 500 ग्राम चांदी एवं नगदी बरामद** हुई है।

एसीबी उप महानिरीक्षक श्री डॉ. रवि के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है। आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।